न्यायालय : रंजन कुमार मिश्र, अपर सत्र न्यायाधीश–XI, दरभंगा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–529 / 2026

1. ऋषि कुमार यादव उर्फ ऋषिकेश कुमार पे0–राजीव यादव उर्फ राजीव कुमार रंजन साकिन–डी छपरार, थाना–फेंकला, जिला–दरभंगा..... आवेदक।

बनाम

1. बिहार सरकार ..... विपक्षी

==========

आवेदक की ओर से : श्री मो0 तौहीद, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री चमकलाल पंडित, विद्वान लोक अभियोजक।

==========

आदेश

27-05-2026 :- **1.** यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त **ऋषि कुमार यादव उर्फ ऋषिकेश कुमार** की ओर से धारा–482 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत **सदर थाना काण्ड संख्या–90 / 2026** बी0एन0एस0 की धारा **309(4), 3(5) BNS एक्ट** जो **विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा** के न्यायालय में लम्बित हैं, में अग्रिम जमानत आवेदन जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहॉ दाखिल किया गया, जिसे निस्तारण हेतु इस न्यायालय में हस्तानांतरण कर भेजा गया, आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता **श्री मो0 तौहीद** एवं विद्वान लोक अभियोजक **श्री चमकलाल पंडित** को सुना गया।

2. अभियोजन का वाद संक्षिप्त में यह है कि सूचक रविशंकर कुंवर का कारोबार भगवान दास मुहल्ला जे0पी0 चौक, दरभंगा पिंकी ट्रांसपोर्ट के नाम से स्थित है। सोमवार की सुबह लगभग 03:10 ए0 एम0 (09.03.2026) को सूचक के ड्राईवर के द्वारा सूचित किया गया कि धोई घाट (धोई चट्टी) के समीप तीन अज्ञात लोग व्हाईट रंग के अपाची बाईक से गाड़ी को रोका, तुरंत में तीनों बाईक से उतरे तथा पिस्टल निकालकर ड्राईवर को गाड़ी से उतारा और मारा तथा उसका सारा सामान (जैसे कि पैसे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस तथा मोबाईल) छीनकर जान से मारने की धमकी दिया और लेकर फरार हो गया। सूचक का बोलेरो पिकअप गाड़ी संख्या BR06GB2407 लेकर फरार हो गया। गाड़ी में सामान 1. दवाईया–10 कार्टुन, 02. पंखा–10 कार्टून, 03. कपड़ा–तीन बोरा, 04. चप्पल–25 कार्टून, 12 बोरा, 05. कोसमेटिक–6 कार्टून कुल अनुमानित कीमत 6,00000 / –रूपया है।

03. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक का जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में, न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है और न ही कोई जमानत का आवेदन पत्र कहीं लंबित है। आगे उनका कहना है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आगे उनका कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आगे उनका कहना है कि आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं

है। आगे उनका कहना है कि आवेदक के पास या घर से कोई लूट की वस्तु बरामद नहीं की गयी है। आगे उनका कहना है कि पुलिस ने इस मामले के संबंध में रवि कुमार नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और पुलिस के समक्ष उसका स्वीकारोक्ति बयान दर्ज किया गया। उस स्वीकारोक्ति बयान में आवेदक का नाम उसके एक सहयोगी के रूप में सामने आया है। आगे उनका कहना है कि आवेदक न्यायालय की सभी शर्तों को पालन करने के लिए तैयार हैं। अंत में वे आवेदक को जमानत पर छोड़ने का निवेदन करते है।

विद्वान लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हुये जमानत आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख एवं केस दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्राथमिकी बी0एन0एस0 की धारा **309(4), 3(5)** में तीन अज्ञात के विरूद्ध दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका–29 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रवि कुमार ने स्वीकारोक्ति बयान में आवेदक ऋषि कुमार यादव का नाम अपराध कारित करने में बताया। कांड दैनिकी की कंडिका–39 में अभियुक्त विवेक कुमार ने इस अभियुक्त का नाम बताया अपराध कारित करने वाले में। अभियुक्त विवेक कुमार के घर पर छापामारी किया गया तो घर से तीन कार्टून Kwiker लिखा हुआ जिसके अंदर लेडिज, जेंस चप्पल 08 बोरा उजला रंग का जिसके अंदर eva नाम का चप्पल पाया गया। बरामद सभी सामानों के बारे में विवेक कुमार के द्वारा बताया गया कि संजीव कुमार यादव, ऋषि यादव (आवेदक) एवं नीतीश कुमार यादव के द्वारा उन्हें बेचा गया है जिसके ऐवज में उसने कुल बीस हजार रूपया ऑन लाईन पेमेंट किया है। कांड दैनिकी में अभियुक्त धर्मवीर सहनी का स्वीकारोक्ति बयान उपलब्ध है जिसमें उन्होंने इस कांड में अन्य सहयोगियों को शामिल रहने की बात को स्वीकार किया है। कांड दैनिकी में वादी सहित अन्य साक्षियों ने मामले का समर्थन किया है। केस दैनिकी के कंडिका–111 से विदित होता है कि इस केस में लूटी गई वाहन BR06GB-2407 मनौरा चौर के गाछी से लावारिस अवस्था में बरामदगी की गई है। आवेदक के विरूद्ध लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के हैं एवं इस वाद में अनुसंधान अभी जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक–अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अभियोग की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए आवेदक अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है। तद्नुसार आवेदक अभियुक्त **ऋषि कुमार यादव उर्फ ऋषिकेश कुमार** का अग्रिम जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित

(रंजन कुमार मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश–XI,
दरभंगा।